लखनऊ : दिनांक : 12 जुलाई, 2021

प्रेषक.

अखिलानन्द ब्रहमचारी,

उप सचिव.

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषयः वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 से मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मिलन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-फिरोजाबाद की 08 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2360/10/छः/विविध(द्वितीय किश्त)/2019-20, दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 एवं पत्र संख्या-3612/10/छः/विविध(द्वितीय किश्त)/2019-20, दिनांक 21 जनवरी, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मिलन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-फिरोजाबाद की नगर निगम, फिरोजाबाद, न0पा0पिर0, शिकोहाबाद व न0पं0, एका की विभिन्न मिलन बस्तियों में इण्टरलािकंग रोड व नािली निर्माण कार्य से सम्बन्धित 14 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-513/2018/369/69-1-2018-32(म0ब0-83)/2018, दिनांक 08 अक्टूबर, 2018 द्वारा रू० 733.46 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सिहत, प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रू० 366.73 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। अतएव जनपद- फिरोजाबाद की नगर निगम, फिरोजाबाद, न0पा0पिर0, शिकोहाबाद की 08 परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने हेतु उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्रविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तािलका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि रू० 245.335 लाख (रूपये दो करोड़ पैतालीस लाख तैतीस हजार पांच सौ मात्र) की, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवरूथा का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- 2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ,मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमश इस प्रकार प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।

- 4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इ्डा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित इ्डा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- 6. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन इंडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
- 7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
- 8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित इंडा का होगा।
- 9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अन्रूप किया जायेगा।
- 10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन विस्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
- 11. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित इ्डा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सिम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
- 12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह स्डा/इ्डा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 13. कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन को स्टेट बैंक आफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 14. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव, सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
- 15. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
- 16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अविध के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकम्शत शासन को वापस करनी होगी।

- 17. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
- 18. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2022 तक व्यय हो सके।
- 19. प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, इडा की होगी।
- 2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
- 3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 दवारा जारी आदेशों के तहत् किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय.

(अखिलानन्द ब्रहमचारी)

उप सचिव।

<u>संख्या-126/2021/221(1)/69-1-2021, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- 2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
- 3. अपर मुख्य सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
- 4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, फिरोजाबाद।
- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6. वित्त (आय-व्ययक) अन्भाग-9, उ०प्र० शासन।
- 7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
- 8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ०प्र० शासन।
- 8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
- सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(के0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-126/2021/221/69-1-2021-32(म0ब0-83)/2018, दिनांक 12 जुलाई, 2021 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू० में)

क्र0	जनपद का	निकाय/	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना	द्वितीय/अंति
सं0	नाम	नगर		की कुल	म किश्त के
410		पंचायत का		लागत।	रूप में
		नाम।			स्वीकृत की
					जाने वाली
					धनराशि।
1	2	3	4	5	6
	_		·		
1	फिरोजाबाद	नगर निगम,	मों नगला पान सहाय में भारत गैस से पप्पू के	40.10	20.05
		फिरोजाबाद	मकान तक, मलखान के मकान से कोटला रोड तक,	40	
			अमर पाल, महेन्द्र सिंह के मकान से मुख्य मार्ग	3	
			तक, राजवीर के मकान से राम सनेही के मकान	• •	
			तक, श्यामलाल के मकान से मुन्नालाल के मकान		
			तक, राजवीर के मकान से श्याम लाल के मकान तक		
			एवं रवीन्द्र के मकान से लाला के मकान तक एवं		
			नाली एवं इण्टरलािकंग का कार्य।		
2	तदैव	तदैव	शिकोहाबाद में प्रतापपुर रोड पर संजू के मकान से	38.75	19.375
			मुरलीधर के मकान तक, सुनील के मकान से संजू के		
			मकान तक, कमलेश के मकान से सदन सिंह के		
			मकान तक, कमलेश के मकान से प्रतापपुर रोड तक,		
			मान सिंह के मकान से उमाशंकर के मकान तक,		
			नगला किला रोड में, दीपक के मकान से शंकर		
		,/5	दयाल के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का		
			कार्य।		
3	तदैव	न0पा0परि0,	नगला पान सहाय में कोटला रोड से बिट्सू के मकान	48.38	24.19
		शिकोहाबाद	तक, सुभाष के मकान से बच्चू के मकान तक,		
			मलखान सिंह के मकान से संजय के मकान तक,		
			छोटे सिंह के मकान से मथुरा प्रसाद के मकान तक,		
			कायम सिंह के मकान से सुरेश के मकान तक, संजय		
			के मकान से मलखान एवं सोवरन ब्रम्हचारी के		
			मकान तक, भूरी सिंह के मकान से अखिलेश के		
			मकान तक, भगवान सिंह के मकान से पप्पू के		
			मकान तक एवं बिद्दू के मकान से केदारी लाल के		
			 मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।		
		_			
4	तदैव	नगर निगम,	मों नगला विश्नू में छोटे लाल इण्टर कालेज तक,	91.37	45.685

		फिरोजाबाद	शंकर के मकान से गिरेन्द्र के मकान गिरेन्द्र से		
		117,1011414	रामविलास, महेश से बोरलाल, गिरेन्द्र से मुख्यमार्ग		
			तक, धर्मेन्द्र से पीर पतंगा बाजार तक, सतेन्द्र के		
			मकान से सर्वेश के मकान तक, छोटे लाल कालेज से		
			दिनेश के मकान तक, दिनेश के मकान से रिंचू के		
			मकान तक, रामगोपाल के मकान से रमेश के मकान		
			तक, तुलसी के मकान से महावीर के मकान तक,		
			बब्लू के मकान से गुड्हू के मकान तक, गुड्हू के		
			मकानसे रामखिलाडी के मकान तक, सीताराम के	•	5
			मकान से राकेश के मकान तक एवं सुभाष के मकान		
			से दीपचन्द्र के मकान तक नाली निर्माण एवं		
			इण्टरलाकिंग का कार्य।	40°	
5	तदैव	तदैव	मों न्यू प्रीतम नगर में राम प्रताप के मकान से	89.37	44.685
			मोहन लाल तक, हरि प्रासाद से भगवान दास तक,	.0	
			ज्ञान स्वरूप के मकान से भगवान स्वरूप के मकान		
			तक, भगवान स्वरूप से बृजेश, शिवकुमार से रमेश,		
			बृजेश से शंकर, बीरबल के मकान से मुख्य मार्ग		
			तक, मुकेश के मकान से रामवीर के मकान तक,		
			राम प्रकाश के मकान से मुख्य मार्ग तक, नेत्रपाल के		
			मकान से छोटे लाल के मकान तक (कावला में),		
			छोटे लाल के मकान से राकेश के मकान तक, एवं		
			राम सेवक के मकान के से महावीर के मकान तक		
			नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।		
6	तदैव	तदैव	मो0 नगला पान सहाय में पप्पू के मकान से राजू के	40.71	20.355
		.16	मकान तक, मथ्रा प्रसाद के मकान से प्रकाश के		
		113	मकान तक, प्रकाश के मकान से पप्पू के मकान		
		~\\\	ं तक, गंगा देवी के मकान से भूरे के मकान तक,		
		01	्र रामनिवास के मकान से बृजेश के मकान तक राजू के		
			ू मकान से वेदपाल के मकान तक नाली एवं		
			इण्टरलाकिंग का कार्य।		
			•		
7	तदैव	न0पा0परि0,	मो0 खेड़ा में सोनपाल के मकान से बुलाकीराम के	69.30	34.65
		शिकोहाबाद	मकान तक, कुंवरपाल के मकान से भगवती के		
			मकान तक, राजेन्द्र के मकान से मुख्यमार्ग तक,		
			रनवीर के मकान से भोले के मकान तक, विनोद के		
			मकान से भोले के मकान तक, भोले के मकान से		
			मुन्ना लाल के मकान तक, देवेन्द्र के मकान से		
			मुन्ना लाल के चौक तक, प्रमोद के मकान से भोले		
			के मकान तक एवं मुन्नालाल के मकान से भ्रेलाल		

			} 						
			के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।						
8	तदैव	तदैव	मो0 महतबा नगर में राजपाल के मकान से	72.69	36.345				
			जगन्नाथा तक, प्रेमनारायण से विजय सिंह तक,						
			राकेश से सुखलाल तक, साहू से प्रेमनारायण तक						
			प्रेमनारायण से मुख्यमार्ग तक, सोमवीर से कालीचरन						
			तक, शिवचरन से करन सिंह तक, दौलत राम से						
			जगन्नाथ तक, पप्पू से पूजा राम तक, दुर्गाभावन से						
			महबूत राठौर तक, पप्पू से सुनील तक एवं सुनील से						
			सुभाष तक इण्टरलािकंग एवं नाली कार्य।						
			योग	490.67	245.335				
(रूपये	दो करोड़ पैंत	40,							
				80					
	(के0पी0 सिंह)								
	अनु सचिव।								
			103						
			- 30						
			03						
		116							
		11.							
	LX.	7,							
	XV								
	_								